संख्या-392/2026/1898/22-2-2025-17(918)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 13 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश तिवारी पुत्र श्री भूपचन्द तिवारी, निवासी जनपद-फैजाबाद (अयोध्या) की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-35274/प्रो0-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025), दिनांक 08.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश तिवारी पुत्र श्री भूपचन्द तिवारी, जो कुर्मी का पुरवा, मौजा-उछाहपाली थाना-इनायतनगर, जनपद-फैजाबाद (अयोध्या) का निवासी है। प्रथम केस-जमीनी विवाद व चुनावी रंजिश के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 26-09-2007 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर सुरेश प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस-जमीन की मुकदमेबाजी की रजिश को लेकर दिनांक 15.08.1996 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, भाला व तमन्चा से गोली मारकर राम मिलन पाण्डेय नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी को 1-सत्र परीक्षण सं0-39, 40/2008, भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 3/25 आर्म्स एक्ट में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-09, फैजाबाद के आदेश दिनांक 29.11.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। 2- बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-1034/1996, भा0द0वि0 की धारा-302 मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-03, फैजाबाद के आदेश दिनांक 27.08.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बंदी ने प्रथम केस में दिनांक 25.03.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 06 माह, 09 दिन तथा द्वितीय केस में दिनांक 03-07-2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 05 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 01 माह, 17 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलित्त अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध से समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने से इन्कार नहीं किये जाने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने बन्दी की उम्र करीब 57 वर्ष है तथा पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में निरूद्ध रहने से पीड़ित पक्ष व समाज में कानून का भय व कानून में विश्वास बना रहने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि में जमीनी विवाद व चुनावी रंजिश के विवाद की रजिश को लेकर दिनांक 26.09.2007 को बन्दी ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर सुरेश प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या एवं जमीन की मुकदमेबाजी की रजिश को लेकर दिनांक 15.08.1996 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, माता व तमन्चा से गोली मारकर राम मिलन पाण्डेय नामक व्यक्ति की

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर बर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एव जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कमलेश तिवारी पुत्र भूपचन्द तिवारी को फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश तिवारी (बन्दी संख्या-48153) पुत्र श्री भूपचन्द तिवारी, निवासी जनपद-फैजाबाद (अयोध्या) की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-392/2026/1898(1)/22-2-2025 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद (अयोध्या)।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद (अयोध्या)।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up

शासनादेश संख्या-392/2026/1898/22-2-2025-17(918)/2025

दिनांकः 13 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश तिवारी पुत्र श्री भूपचन्द तिवारी, जो कुर्मी का पुरवा, मौजा-उछाहपाली थाना-इनायतनगर, जनपद-फैजाबाद (अयोध्या) का निवासी है। प्रथम केस-जमीनी विवाद व चुनावी रंजिश के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 26-09-2007 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर सुरेश प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस-जमीन की मुकदमेबाजी की रजिश को लेकर दिनांक 15.08.1996 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, भाला व तमन्चा से गोली मारकर राम मिलन पाण्डेय नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी को 1-सत्र परीक्षण सं0-39, 40/2008, भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 3/25 आर्म्स एक्ट में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-09, फैजाबाद के आदेश दिनांक 29.11.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। 2- बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-1034/1996, भा0द0वि0 की धारा-302 मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-03, फैजाबाद के आदेश दिनांक 27.08.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बंदी ने प्रथम केस में दिनांक 25.03.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 03 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 06 माह, 09 दिन तथा द्वितीय केस में दिनांक 03-07-2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 05 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 01 माह, 17 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलित्त अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध से समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने से इन्कार नहीं किये जाने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने बन्दी की उम्र करीब 57 वर्ष है तथा पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में निरूद्ध रहने से पीड़ित पक्ष व समाज में कानून का भय व कानून में विश्वास बना रहने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि में जमीनी विवाद व चुनावी रंजिश के विवाद की रजिश को लेकर दिनांक 26.09.2007 को बन्दी ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर सुरेश प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या एवं जमीन की मुकदमेबाजी की रजिश को लेकर दिनांक 15.08.1996 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, माता व तमन्चा से गोली मारकर राम मिलन पाण्डेय नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर बर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एव जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कमलेश तिवारी पुत्र भूपचन्द तिवारी को फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।